

# अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली  
बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

## उनवान

1. खेमराज पिता मोती सालवी निवासी जेवाणा तहसील मावली।

.....वादी

## बनाम

1. नारायण पिता रामचन्द्र सरगड़ा निवासी जेवाणा तहसील मावली।
2. श्रीमती बेनकी पत्नी भेरूलाल मेघवाल निवासी देपर तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
3. श्रीमती श्यामुबाई पुत्री कालु बलाई निवासी मकान नं. 11, रामदेवजी के मंदिर के पास, सताधार, इसनपुर, महावीर स्कूल के पास अहमदाबाद (गुजरात)
4. हीरालाल पिता कालु बलाई निवासी जेवाणा तहसील मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली तहसील, मावली।

.....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 15/22 (वाद) जीसीएमएस : 2022/25

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब पेश मुद्दायलह होकर हुक्म दिया जाकर अंतिम डिक्री दी जाती है कि :-  
वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा जैवाणा पटवार हल्का, जैवाणा तहसील, मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 362 पर दर्ज आराजी का बंटवारा मुताबिक विभाजन सूची निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदारों के नाम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान
1	खेमराज पिता मोती सालवी सा. देह खातेदार	1628/1	0.0578	खा.द्धि.	0.03
		1628/5	0.0616	खा.द्धि.	0.04
	<b>योग</b>	<b>किता-02</b>	<b>0.1194</b>	<b>-</b>	<b>0.07</b>
2	भेरूलाल पुत्र पेमा मेघवाल सा. देपुर खातेदार	1628/2	0.0306	खा.द्धि.	0.02
	<b>योग</b>	<b>किता-01</b>	<b>0.0306</b>	<b>-</b>	<b>0.02</b>
3	नारायण पुत्र रामचन्द्र सरगड़ा सा. देह खातेदार	1628/3	0.0306	खा.द्धि.	0.02
	<b>योग</b>	<b>किता-01</b>	<b>0.0931</b>	<b>-</b>	<b>0.31</b>
4	श्यामुबाई पुत्री कालु 513/1270 हीरालाल पुत्र कालु 757/1270 बलाई सा. देह खातेदार	1628/4	0.1270	खा.द्धि.	0.05
	<b>योग</b>	<b>किता-01</b>	<b>0.1270</b>	<b>-</b>	<b>0.05</b>

नोट :- उक्त डिक्री का नक्शा ट्रेस एवं विभाजन सूची अभिन्न अंग रहेगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **05.03.2026** को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर (FT) मावली  
जिला उदयपुर

